सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 427 राँची, वृहस्पतिवार 28 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

18 जून, 2015 (ई०)

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

संकल्प

23 अप्रील, 2015

विषयः- झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली -2015 की स्वीकृति ।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15 अप्रील, 2015 के मद संख्या - 13 में लिए गये निर्णय के अनुसार ''झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली-2015'' की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी अधिसूचना की प्रति इसके साथ संलग्न की जाती है।

2. यह नियमावली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

अनुलग्नकः- यथोक्त ।

मृदुला सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

अधिसूचना

23 अप्रील, 2015

संख्या - स0क0/बा0वि0प्र0नि0-70/2011-786--बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक-6 सन् 2007) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2015 कही जायेगी।

(ii) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगी।

(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ:- इन नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक -6 सन् 2007)

(ख) "बाल विवाह" से अभिप्रेत है, ऐसे बालक जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है अथवा ऐसी बालिका जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, का विवाह;

(ग) "बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक -6 सन् 2007) की धारा 16 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तथा जिसे इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा कत्र्तव्य व दायित्व सौंपा गया अधिकारी;

(घ) "पुलिस अधिकारी" से अभिपे्रत है, राज्य पुलिस विभाग का अधिकारी;

(ङ) "जिला दण्डाधिकारी" तथा "शिकायत" के वही अर्थ होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक-2) के अन्तर्गत उन्हें क्रमशः समानुदेशित तथा परिभाषित किये गये हैं;

(च) "राज्य" से अभिपे्रत है, झारखण्ड राज्य;

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों व अभिव्यक्तियों जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, के वही अर्थ होंगे जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक - 6 सन् 2007) में उन्हें समानुदेशित किये गये है;

(ज) "न्यायालय" से अभिपे्रत है अधिनियम में यथापरिभाषित जिला न्यायालय;

(झ) "व्यथित व्यक्ति" से अभिपे्रत है बाल विवाह का कोई संविदाकारी पक्षकार;

(ञ) "बाल कल्याण समिति" से अभिपे्रत है किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन गठित समिति;

(ट) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न फारम ।

3. **<u>बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी की अधिकारिता</u>**:- क्षेत्र जिसके विषय में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को अधिनियम की धारा 16 (1) के अन्तर्गत, अधिकारिता का प्रयोग करना है वह इस प्रयोजन के लिये राजपत्र में राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र होगा ।

i) अकृत्ता की डिक्री द्वारा बाल विवाह बातिल करने के लिए धारा-3 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन अर्जी उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकेगी। अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक-5) के उपबंध की सारी शक्तियाँ होंगी और वह उसी के द्वारा शासित होगी ।

ii) न्यायालय द्वारा लौटाए जाने के लिए आदेशित जेवरात सहित वस्तुएँ या कोई राशि न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी की उपस्थिति में लौटाई जाएगी ।

iii) अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-1 के तहत विवाह के महिला पक्षकार को भरण-पोषण हेतु किसी निधि या वस्तु को लौटाने के संबंध में एकमुष्त भुगतान का आदेश दिये जाने की स्थिति में वह आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी की उपस्थिति में देय होगा। यदि भरण-पोषण की राशि मासिक भुगतेय होगा तो संबंधित पक्ष या अभिभावक को विवाह के महिला पक्षकार को प्रत्येक माह के 15वीं तारीख तक भुगतेय होगा।

iv) जब विवाह का संविदाकारी पुरूष पक्षकार या उसका अभिभावक, जहाँ संविदाकारी पुरूष पक्षकार अव्यस्क हो, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन पारित न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो व्यथित पक्षकार उसके निष्पादन के लिए जिला न्यायालय में आवेदन कर सकेगा । जिला न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय प्ग् के उपबंधों के अनुसार आदेश करेगा।

v) जहाँ संविदाकारी पक्षकार या कोई अन्य पक्षकार अव्यस्क हो वहाँ उपयुक्त मामले में न्यायालय उसे बच्चा के सर्वोत्तम हित के संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति को निर्देश करेगा ।

vi) अधिनियम की धारा 7 के अधीन पारित आदेश की प्रति संविदाकारी पक्षकारों तथा उनके अभिभावक, दोनों के साथ-साथ बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को भी दिया जाएगा ।

4. **<u>शिकायत की प्रक्रिया</u>**:- कोई भी व्यक्ति अथवा माता-पिता अथवा ऐसे पीड़ित व्यक्ति के अन्य संबंधी अथवा मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा व्यक्तिगत अथवा संदेशवाहक या डाक से, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को शिकायत लिखित में की जा सकेगी ।

i) किसी क्षेत्र में बाल विवाह के अनुष्ठान की संभावना से संबंधित सूचना किसी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थाना या ग्राम पंचायत के सरपंच को मौखिक या लिखित या डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी

(क) चूँकि बाल विवाह एक वेहद संवेदशील विषय है, इसलिए विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जागरुकता लायी जायेगी। सामाजिक कार्यकत्र्ताओं/पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं सामाजिक सरोकार रखने वाले नागरिक को सम्मानित किया जायेगा तथा उन्हें सक्षम पदाधिकारी के संज्ञान में विषय को लाने में सक्रिय भुमिका निभाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

ii) बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी से भिन्न अधिकारी बाल विवाह के अनुष्ठान की संभावना की सूचना प्राप्त करने पर ऐसी सूचना, अपनी रिपोर्ट के साथ, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को देंगे जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करेंगा।

(क) सूचना प्राप्ति के पश्चात कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित प्राधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा एवं उनके विरुद्ध जुर्माना कम से कम रु0 5000/- या विभागीय कार्यवाही जैसी कार्रवाई की जा सकेंगी। साथ ही अच्छा कार्य करनेवाले या तत्पर पदाधिकारी को पुरस्कार स्वरुप कम से कम रु0 5000/- एवं एक प्रशस्ति पत्र (citation) प्रदान किया जायेगा।

(ख) बाल विवाह जैसी घटना का ज्ञाप होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकतम 30 दिनों के अन्दर प्रतिवेदित करना अनिवार्य होगा।

iii) जिला पदाधिकारी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित कर सभी या किसी थाना को निर्देश दे सकेगा कि वह धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखे तथा बाल विवाहों के अनुष्ठान को रोकने और प्रतिषेध करने के लिए उचित कार्रवाई करें, विशेषकर वैसे विशेष अवसरों पर जब बड़े पैमाने पर बाल विवाह का अनुष्ठापन किया जाता है ।

iv) यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि बाल विवाह अनुष्ठापित किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह इसकी सूचना पत्र, ई-मेल या दूरभाष या किसी अन्य रीति से उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को दे सकेगा।

v) यदि सूचना प्राप्त होने पर कि बाल विवाह अनुष्ठापित किया गया है या किया जा रहा या किया जानेवाले है, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी फारम-1 में बाल विवाह घटना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी प्रतियाँ उस थाना के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसकी अधिकारिता वाली स्थानीय सीमा के अन्तर्गत बाल विवाह अनुष्ठापित हुआ हो या हो रहा या होनेवाला हो ।

vi) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी बाल विवाह से सम्बन्धित सूचना को अभिलिखित करने से इस आधार पर इन्कार नहीं करेगा कि अभिकथित बाल विवाह का अनुष्ठापन उसके क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्र में हुआ है या हो रहा है या होनेवाला है । वह ऐसी सूचना को अभिलिखित करेगा और उसे तुरन्त संबंद्ध बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा । संबंद्ध बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, जिसे ऐसी सूचना अग्रसारित की जाए, फारम-1 में सूचना अभिलिखित करेगा ।

vii) बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी बाल विवाह घटना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकत्र्ता को मुफ्त प्रदान करेगा।

5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कत्र्तव्य एवं दायित्व:-

(क) बाल विवाह के आयोजन को यथानुरूप कार्यवाही कर रोकना

(ख) इन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावकारी विधिक कार्यवाही हेतु साक्ष्य एकत्रित करना,

(ग) वैयक्तिक अथवा स्थानीय समुदाय को बाल विवाह को प्रोत्साहित न करने, सहयोग न देने अथवा स्वीकृति न देने के संदर्भ में परामर्श देना ;

(घ) बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली बुराईयों के प्रति जागरूकता लाना,

(ङ) समुदाय को बाल विवाह के मुद्दे पर संवेदनशील करना,

(च) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित प्रतिवेदनों तथा आँकड़ों को तैयार करना,

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त कार्यों एवं कत्र्तव्यों का निष्पादन करना,

(ज) अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति तथा उसके कुटुम्ब या उसके साथ आने वाले व्यक्ति एवं अन्य व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानकारी देना,

(झ) राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार के माध्यम से व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करना,

(ञ) व्यथित व्यक्ति की आश्रयालयों के बारे मे जानकारी देना और यदि अपेक्षा की जाए तो न्यायालय की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या अन्यथा व्यथित व्यक्ति की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ आश्रयालयों में उनके आश्रय की व्यवस्था करना,

(ट) यदि उसे किसी बाल विवाह के अनुष्ठापन की सूचना मिले, जिसमें बच्चा/बच्ची अव्यस्क हों, तो अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के अधीन नियुक्त विशेष पुलिस पदाधिकारियों सहित पुलिस प्राधिकारियों को सूचित करना, यदि

i. विधि पूर्ण अभिभावक से ले लिया गया हो या फुसला कर ले जाया गया हो या

ii. बल पूर्वक बाध्य किया गया हो या

iii. किसी स्थान से जाने के लिए किसी प्रवंचनापूर्ण उपाय से उत्पे्ररित किया गया हो, या

iv. विवाह के प्रयोजनार्थ बेचा गया हो और विवाह के किसी स्वरूप को पूरा करने के लिए बाध्य किया गया हो या

v. विवाहित हो और इसके बाद अनैतिक प्रयोजन के लिए बेचा गया हो या दुव्र्यापारित या उपयोग किया गया हो,

6. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ:- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग निम्नानुसार कर सकेगा:-

i. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जाँच करने तथा सक्षम दण्डाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सशक्त होगा

ii. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को जब कभी युक्तियुक्त आधार पर विश्वास हो कि इन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घटित हो चुका है अथवा हो रहा है, अथवा होने वाला है, तथा किसी परिसर की तलाशी बिना वांरट अविलम्ब संभव नहीं है, वह अपने विश्वास का आधार जिला दण्डाधिकारी को भेजकर, उन परिसरों की तलाशी बिना वांरट के भी ले सकेगा

(क) उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी को मामला को सूचित करने के साथ-साथ Electronic (sms alrert, email) अथवा मौखिक/लिखित सहमति प्राप्त किया जा सकेगा।

iii. अधिक तलाशी पंचनामा उप नियम (2) के अधीन, तलाशी लेने के पूर्व, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी दो या स्थानीय निवासियों को उपस्थित रहने तथा तलाशी का तथा लिखित में अथवा अन्यथा के दौरान उपस्थित रहने के लिए आदेश देगा एवं उक्त गवाहों की उपस्थिति में तलाशी तैयार करेगा ।

7. **<u>बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक होंगे:</u>**- भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का अधिनियम संख्यांक -45) की धारा 21 के अर्थों के भीतर प्रत्येक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक होंगे

8. **<u>व्याख्या:-</u>** (i) इन नियमावली के व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(ii) समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग (प्रषासी विभाग) को यह शक्ति प्राप्त होगी की नियमावली की कार्यान्वयन में आनेवाली व्यवहारिक कठिनाईयों को परिमार्जित करने हेतु सरकार के अनुमोदन से इस नियमावली की किसी प्रावधान को संषोधित अथवा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निर्देष/परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिष्चय अंतिम होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मृदुला सिन्हा,

सरकार के प्रधान सचिव ।

फारम-1

(नियम-II)

बाल विवाह घटना रिपोर्ट

बाल विवाह अभिलेख रजिस्टर क0स0-.....दिनांक .....

(क)

गाँव/वार्ड सं0 और नाम	ग्राम पंचायत/प्रखण्ड/ नगरपालिका निकाय	अनुमंडल	जिला

1. बाल विवाह के बालक का नाम/उम्र
2. बाल विवाह के बालक के पिता का नाम
3. बाल विवाह के बालक का माता का नाम
4. बाल विवाह के बालक का पता/दूरभाष संख्या
5. बाल विवाह के बालिका का नाम/उम्र
6. बाल विवाह के बालिका के पिता का नाम
7. बाल विवाह के बालिका का माता का नाम
8. बाल विवाह के बालिका का पता/दूरभाष संख्या
9. बाल विवाह की तारीख
10. बाल विवाह का स्थान
11. उस थाना का नाम जहाँ शिकायत रजिस्ट्रीकृत किया गया
12. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या

(ख) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अधीन लिया जानेवाला आदेश

क्रमांक	आदेश	हाँ/ना	कोई अन्य
	धारा-13 के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश धारा-3 के अधीन बातिलीकरण आदेश धारा-4 (4) के अधीन निवास आदेश धारा-4 (1) के अधीन भरण-पोषण आदेश धारा-5 के अधीन अभिरक्षा आदेश धारा-3 (4) के अधीन निबंधन आदेश कोई अन्य आदेश		

एतद् द्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि

श्री..... (पुरुष संविदाकारी पक्षकार) पुत्र श्री.....निवासी.....

.....और श्रीमती.....(महिला संविदाकारी पक्षकार) पुत्री

श्री.....निवासी.....

.....का बाल विवाह.....(स्थान) पर दिनंाक को अनुष्ठापित किया गया, को कार्यालय के बाल विवाह, अभिलेख रजिस्टर में अभिलिखित कर लिया गया है।

बल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी

(मोहर)

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकासित किया जाता है जो भारतीय सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

NOTIFICATION

The 23th April, 2015

No.- S.W./C.M.P.R-70/2011- 786-- In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Central Act No. 6 of 2007) the Governor of Jharkhand hereby makes the following rule namely:-

1. **Short title and commencement** :-
   (i) These rules may be called the **"Jharkhand Child Marriage Prohibition Rules, 2015".**
   (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
   (iii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions** :- In these rules unless the context otherwise requires :-
   (a) **"Act"** means the Prohibition of Child Marriage Act 2006 (Central Act No. 6 of 2007)
   (b) **"Child Marriage"** means the marriage of a boy below the age of 21 years or a girl below the age of 18 years.
   (c) **"Child Marriage Prohibition Officer"** means an officer notified under sub-section (1) of section -16 of the Prohibition of Child Marriage Act 2006 (Central Act No. 6 of 2007) by the State Government and entrusted with duties and liabilities under these rules.
   (d) **"Police Officer"** means an officer of the State Police Department.
   (e) **"District Magistrate"** and "Complaint" Shall have the same meaning as assigned and defined in the code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) respectively
   (f) **"State"** means the State of Jharkhand.
   (g) The words and expressions used but not defined in these rules shall carry the same meaning as have been assigned to them in the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Central Act No. 6 of 2007)
   (h) **"Court"** means the district court as defined in the Act.
   (i) **"Aggrieved Person"** means any of the contracting party to a child marriage;
   (j) **"Child Welfare Committee"** means the committee constituted under the provisions of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000
   (k) **"Form"** means a form appended to these rules.
3. **Jurisdiction of the Child Marriage Prohibition Officer** :- The Area shall be such as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette to exercise the jurisdiction under sub-section (1) of section 16 of the Act by the Child Marriage Prohibition Officers
   (i) The petition under the provision of sub section (1) of Section 3 for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed before the court exercising jurisdiction in that area. The court while exercising jurisdiction under the Act shall have all the powers and shall be governed by the provision of Civil Procedure Code, 1908 (No. 5 of 1908).

(ii) Any sum or articles including ornaments ordered to be returned by the court, shall be returned in the presence of Presiding Officer of the Court.

(iii) In case of any order for return of any sum or article under sub Section (1) of section 4 of the Act for payment of maintenance in lump-sum to the female contracting party of the marriage, the same shall be paid within 30 days from the date of passing order, in the presence of Presiding Officer of the Court. If the amount of maintenance is payable monthly the concerned party or guardian shall pay the same to the female contracting party of the marriage by 15th day of each calendar month.

(iv) When the male contracting party to the marriage or his guardian where the male contracting party is minor fails to obey the order of the court passed under Sub-section (1) of section 4 of the Act then the aggrieved party may file an application for execution in the district court. The district court shall make an order in accordance with provisions of chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (N0. 2 of 1974)

(v) In cases where the contracting parties or any other party is minor the court shall in appropriate cases refer them to Child Welfare Committee for protecting the best interest of the child.

(vi) A copy of an order passed under section 7 of the Act shall be given to both the contracting parties and their guardian and also to the Child Marriage Prohibition Officer.

4. <u>Procedure of Complaint :-</u> Any person, mother, father or any relative of the victim or any recognized welfare institution of organization, personally or through messenger or by post may make complain in writing to the Child Marriage Prohibition Officer.

(i) Information regarding likelihood of solemnization of child marriage in any area may be given by any person orally or in writing or by post or by electronic mode to the Child Marriage Prohibition Officer, Block Development Officer, Police Station or Sarpanch of the Gram Panchayat.

(a) Since child marriage is very sensitive issue, awareness through different media will be conducted. Members of civil society/PRI and socially concerned citizen will be honoured and will be provided incentive for their active role in bringing the matter to the concerned authority.

(ii) The officials other than the child Marriage Prohibition Officer, on receiving the information of likelihood of solemnization of child marriage, shall furnish such information to Child Marriage Prohibition Officer along with this report, who shall then take an appropriate action under the provisions of the Act.

(a) The concerned authority not taking cognizance of incident will be held accountable and there will be provision of fine of Rs. 5000/- and departmental proceedings. At the same time those officials who are active and doing commendable job will be duly honoured with Rs. 5000/- and a citation.

(b) In case of solemnization of child marriage reporting is mandatory within 30 days of the incidence held.

(iii) District Magistrate may pass an order under Sub section (5) of section 13 of the Act directing all or any Police station to keep vigil at religions and public places and also to take appropriate action to check and prevent the solemnization of child marriages, especially during special occasions when mass child marriages are solemnized.

(iv) Any person who has reason to believe that a Child Marriage has been, or is being, or is likely to be solemnized, may give information through letter, e-mail or a telephone call or in any other form, to the Child Marriage Prohibition Officer having jurisdiction in the area.

(v) Upon receipt of information that a child marriage has been, or is being, or is likely to solemnized, the Child Marriage Prohibition Officer shall prepare a child marriage incident report in From-I and submit the same to the court and forward copies thereof to

the police officer in-charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the child marriage alleged to have been, or is being, or is likely to be solemnized.

(vi) Notwithstanding anything contained is these, the Child Marriage Prohibition Officer shall not refuse to record information regarding child marriage on the ground that the child marriage alleged to have been, or is being, or is likely to be, solemnized outside the area of his Jurisdiction. He shall record and immediately forward such information to the concerned Child Marriage Prohibition Officer. The concerned Child Marriage Prohibition Officer to whom such information is forwarded shall record the information in Form I.

(vii) Child Marriage Prohibition Officer shall supply free of cost copy of the Child marriage incident report to the complainant.

5. <u>The work and liabilities of the Child Marriage Prohibition Officer</u> :-

(a) Prohibition organization the function of the Child Marriage Prohibition Officer shall Child Marriage through appropriate action.

(b) Collect the evidences for effective legal action against the persons violating the provisions of the Act.

(c) Advice the persons or local communities, not to encourage, help cooperate or recognize a child marriage.

(d) Create awareness against the evils of child marriage.

(e) Sensitize the community on issue of child marriage.

(f) Prepare reports on dates as expected by the state government from time to time.

(g) Perform such other functions and liabilities as entrusted by the state government from time to time.

(h) To provide the information about the rights of aggrieved persons and his relatives or the person accompanying him or other person under the Act;

(i) To provide legal aid to the aggrieved person through the State Legal Aid Services Authority;

(j) To inform the aggrieved person about the shelter homes and if required, arrange for their shelter in shelter homes for the purpose of safety of the aggrieved person during the pendency of the proceedings of the Court or otherwise;

(k) To inform the police authorities including the special police officers appointed under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956), if he comes to know of the solemnization of any child marriage wherein the child being a minor, is :-

(i) Taken or enticed out of the keeping of the lawful guardian; or

(ii) Compelled by force; or

(iii) Included by any deceitful means to go from any places; or

(iv) Sold for the purpose of marriage, and made to go through a form of marriage; or

(v) Married and after which is sold or is trafficked or used for immoral purpose.

6. Power of Child Marriage Prohibition Officer :- Child Marriage Prohibition Officer may exercise the power of a police officer as under;

(a) The Child Marriage Prohibition Officer is empowered under the provision of the Code of Criminal Procedure to investigate and submit the report before the competent Magistrate.

(b) The Child Marriage Prohibition Officer, if there is reasonable ground to believe that any offence punishable under the Act was committed or is being committed or will be committed in future and it appears to him that the search of any premises is necessary without delay may enter into the premises without warrant and search there in and there after sent the grounds of such belief to the District Magistrate.

(i) The concerned person has to report to the DC/DM, approvals of sanction can be received either verbally/Written or through Sms, email, as the situation demands.

(c) Before Search of any premises under sub-rule (II) the child marriage prohibition officer shall call upon two or more local residents and order them in writing or otherwise to be present during the search and prepare the search memo in presence of said witnesses.

7. **Child Marriage Prohibition Officer to be a Public Servant :-** Every Child Marriage Prohibition Officer shall be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860 (Act. No.- 45 of 1860)

8. **Interpretation :-** (i) Any difficulty if arises on any issue relating to the interpretation of the rules shall be sent to the State Government whose decision thereon shall be final.

(ii) The Department of Social Welfare] Women & Child Development (Administrative department) have the power to amend any provisions of these rules, for the practical difficulties and creation of any doubt, with the consent of the Govt. by issuing order/ circular.

By the order of the Governor of Jharkhand,

Mridula Sinha,
Principal Secretary to the Govt.

Form1
(Rule II)
Child Marriage Incident Report

Marriage Record Register S. N……Date……

(A)

Village/Ward No. and Name	Gram Panchayat/Block/ Municipal Body	Sub-Division	District
1	2	3	4

1. Name/age of the male Child of the Child marriage.
2. Name of the Father of the Male Child of the Child Marriage.
3. Name of the Mother of the Male Child of the Child Marriage.
4. Address/Telephone no. of the male Child of the Child Marriage.
5. Name/age of the Girl Child of the Child Marriage.
6. Name of the Father of the Girl Child of the Child Marriage.
7. Name of the Mother of the Girl Child of the Child Marriage.
8. Address/Telephone no. of the Girl Child of the Child Marriage
9. Date of Child Marriage.
10. Place of Child Marriage.
11. Name of the Police Station where complaint was registered.
12. FIR No.

(B) Order that need to be obtained under the prohibition of Child Marriage Act. 2006

Sl.No	Orders	Yes/No	Any Order
1	2	3	4
	Prohibitory injunction under section 13		
	Annulment order under section 3		
	Residence order under section 4 (4)		
	Maintenance order under Section 4 (1)		
	Custody order under Section 5		
	Any other order		

It is hereby that the child marriage of Sri…… (male contacting party) S/o-……... Resident of…… .....And Smt…….....(female contracting Party) D/o- Sri…… …… resident of……solemnized at……. ……on…… ……..…is recorded in the Child Marriage Record register in the office.

Child Marriage Prohibition Officer
(Seal)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 427—50 ।